न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 94/2023 (2023/235)

1. भैरू लाल पुत्र बरदाराम जाट निवासी प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. श्री कमलेश कासोटिया – अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/करबा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
3352–1252	10416/7243 10418/7244 10420/7245	0.17 0.16 0.15	बारानी उत्तम बारानी उत्तम बारानी उत्तम
	कुल किता 3	**कुल रकबा 0.48 हैक्टर**	

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व हक अधिकार की खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थी की खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमाचिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडे होते है तथा पडोसी अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है एवं प्रार्थी अपने खेत पर खरार करने गया तो पडोसियों ने खरार नही करने दी तथा गाली गलोच की जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि पडोसियों से आये दिन विवाद नही करना पडे एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे। प्रार्थी नियमानुसार फीस अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/करबा केकड़ी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 3352–1252 में दर्ज खसरा नम्बर 10416/7243, 10418/7244, 10420/7245 किता 3 कुल रकबा 0.48 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी

Scanned with OKEN Scanner